न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 32 / 2023 / दावा / बउनवान / बृजमोहन बनाम निरंजन कुमार वगै0
जीसीएमएस संख्या 2023 / 45

1. बृजमोहन पुत्र ग्यारसीनाथ उम्र 55 वर्ष जाति नाथ निवासी मूंडली मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

............वादी

बनाम

1. निरंजन कुमार } पिसरान रामकरण जाति ब्राह्मण निवासीगण छीपाबडौद
2. सुरेश कुमार } तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां राज.

...........प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते दुरूस्ती नक्शा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट</u>

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा
वकील प्रतिवादीण : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

दायरा दिनांक: 02.02.2023 **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

–: निर्णय :–

प्रार्थी / वादी निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

दिनांक 25.06.2001 को पूर्व खातेदार प्रताप सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल ने अपने खाते दर्ज आराजी खसरा नं. 515 रकबा 3.40 हैक्टयर में से वादी बृजमोहन को 1.98 हैक्टयर व वादी के भाई शिवराज योगी पुत्र ग्यारसी नाथ योगी को खसरा नं. 515 रकबा 3.40 हैक्टयर में से 1.42 हैक्टयर व खसरा नं. 514 रकबा 0.85 हैक्टयर में से 0.55 हैक्टयर का रजिस्टर्ड बैचान कर दिया। रजिस्टर्ड बैचान होने के बाद खसरा नं. 515 का रकबा 1.98 हैक्टयर वादी के और खसरा नं. 515 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नं. 514 रकबा 0.55 हैक्टयर वादी व उसके भाई शिवराज के खाते दर्ज हो गई तथा दोनों भई राजस्व नक्शा खसरा नं. 515 व 514 पूर्व – पश्चिम दिशा में काश्त करने लगे अर्थात खसरा नं. 515 का रकबा 1.98 हैक्टयर उत्तरी ओर दिशा का पूरब पश्चिम लम्बाई में वादी के पास रहा और इसी प्रकार अपनी –अपनी आराजी में काश्त कर रहे है।

वादी के भाई शिवराज योगी ने अपने कब्जे काश्त की सम्पूर्ण आराजी खसरा नं. 514 / 816 रकबा 0.55 हैक्टयर , खसरा नं. 515 / 813 रकबा 1.42 हैक्टयर कुल 1.97 हैक्टयर का रजिस्टर्ड बैचान प्रतिवादी नं. 1 व 2 को कर दिया, बैचान हो जाने के बाद इ.नं. 582 दिनांक 15.07.2022 से प्रतिवादी के खाते दर्ज हो गई और जिस जगह पर पूर्व खातेदार शिवराज काश्त कर रहा था, उक्त जगह पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 काश्त करने लगे अर्थात उत्तरी दिशा में वादी और दक्षिणी दिशा में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 काश्त कर रहे है।

राजस्व नक्शा खसरा नम्बर ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व नक्शा गलत बना दिया और वादी का खसरा नं. 515 का रकबा 1.98 हैक्टयर में प्रतिवादी नं. 1 व 2 का राजस्व नक्शा खसरा नं. 515 / 813 रकबा 1.42 हैक्टयर बना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

दिया जबकि उक्त स्थान पर वादी काबिज काश्त है अर्थात खसरा नं. 515/813 के ऊपरी ओर वादी और नीचे की ओर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है।

राजस्व नक्शा खसरा नं. 515 व 514 वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल का दुरूस्त किया जाना न्याय संगत होगा क्योंकि राजस्व नक्शा बदल जाने से खातेदारी तो पूर्व की तरह ही है लेकिन राजस्व नक्शा में जगह कम कर ली और हाल राजस्व नक्शें की भांति वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 काश्त नही कर रहे है बल्कि पूर्व राजस्व नक्शें की भांति काश्त कर रहे है।

राजस्व नक्शा जमाबंदी ऑनलाईन किये जाने से पूर्व जो जमाबंदी व राजस्व नक्शा रिकॉर्ड में था उसी अनुरूप वादी का राजस्व नक्शा खसरा नं. 515 का किया जावें व पूर्व की भांति ही प्रतिवादी नं. 1 व 2 का राजस्व नक्शा किया जावें जिससे राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो सके।

वादी कारण दिनांक 10.01.2023 को उत्पन्न हुआ जब राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन करने बाद वादी ने नकलें प्राप्त की तो पता चला कि राजस्व नक्शा सही हो सके।

इस सम्मानीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि वाद/ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के खातेदारी आराजी खसरा नं. 515 रकबा 1.98 हैक्टयर व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 515/813 रकबा 1.42 हैक्टयर व खसरा नं. 514/816 रकबा 0.55 हैक्टयर का राजस्व नक्शा आनॅलाईन होने के पूर्व की स्थिति राजस्व नक्शें की बहाल की जावें, पूर्व की भांति राजस्व नक्शा ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां कायम की जावें। अन्य कोई न्यायोंचित सहायत हो तो वह भी दिलवाई जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिए सम्मन तलबी करवाई गई। उक्त प्रकरण में तहसीलदार मांगरोल से रिकॉर्ड की एवं मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। तहसीलदार (भू.अ.) मांगरोल के पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/4534 दिनांक 11.12.2025 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

(1)प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार वादी बृजमोहन द्वारा सेटलमेंट संवत 2044–63 के बाद वर्ष 2001 से पूर्व ग्राम मूण्डली की आराजी खसरा नम्बर 515 कुल रकबा 3.20 हैक्टर में से 1.98 हैक्टर तथा वादी भाई शिवराज द्वारा खसरा नम्बर 515 कुल रकबबा 3.20 हैक्टर में से 1.42 एवं खसरा नम्बर 514 कुल रकबा 0.85 हैक्टर में से 0.55 हैक्टर कुल रकबा 1.97 हैक्टर भूमि क्रय की गई है।

(2) मुताबिक ग्राम मूण्डली की चौसाला जमाबंदी संवत 2061 – 64 के अनुसार वादी बृजमोहन के नाम आराजी खसरा नंबर 515 रकबा 1.98 हैक्टर तथा वादी के भाई शिवराज के नाम आराजी खसरा नंबर 515/813 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 515/816 रकबा 0.55 हैक्टर कुल रकबा 1.97 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड ळें

(3) मुताबिक वाद पत्र के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार वर्ष 2022 में वादी बृजमोहन के भाई द्वारा खसरा नंबर 515/813 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 514/816 रकबा 0.55 हैक्टर कुल रकबा 1.97 हैक्टर भूमि का बैचान प्रतिवादी गण क्रम 1 व 2 को करना बताया गया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम मूण्डली की आराजी खसरा नंबर 515/813 रकबा 1.42 हैक्टर एवं खसरा नंबर 514/816 रकबा 0.55 हैक्टर कुल रकबा 1.97 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज हैं।

(4) मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शा शीट एवं ऑनलाईन से पूर्व के राजस्व नक्शा शीट में खसरा नम्बर 515 एवं 515/813 के नक्शें

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

में किसी प्रकार का कोई अन्तर नही होना बताया गया हैं इस प्रकार ऑनलाईन नक्शा पूर्व राजस्व नक्शें के अनुसार ही बनाया गया हैं। वादी बृजमोहन वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार दुरूस्त करवाना चाहता है।

तहसीलदार मांगरोल से रिपोर्ट अनुसार खातेदार राजस्व नक्शानुसार नही बैठकर कई वर्षों से (पूर्व से) बृजमोहन पुत्र ग्यारसीनाथ ख.नं. 515 उत्तरी ओर बैठा हुआ है एवं ख.नं. 515/813 में खातेदार निरंजन, सुरेश कुमार दक्षिणी ओर बैठा हुआ हैं। जिसमें दोनों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

अतः वादीगण बृजमोहन पुत्र ग्यारसीनाथ अपनी आराजी खसरा नंबर 515 रकबा 1.98 हैक्टर को मौका स्थिति अनुसार दुरूस्त करवाना चाहता हैं।

उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्तागण आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। आपसी सहमति के अनुसार वादी ने वास्ते दुरूस्त करवाने हेतु राजस्व नक्शा खसरा नंबर 515 रकबा 1.98 हैक्टेयर व खसरा नंबर 514/816 रकबा 0.55 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 515/813 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल जिला बारां का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत न करके आपसी सहमति से नक्शा दुरूस्त करवाने को तैयार है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खसरा नंबर 515 उत्तर की ओर वादी बृजमोहन का कब्जा काश्त तथा दक्षिणी ओर खसरा नंबर 515/813 व खसरा नंबर 514/816 का राजस्व नक्शा प्रतिवादीगण निरंजन कुमार व सुरेश कुमार के दर्ज होना बताया। इसी नक्शे अनुसार उभय पक्ष पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी उभय पक्ष यही नक्शा करवाना चाहते है क्योंकि उभय पक्ष इसी राजस्व नक्शे अनुसार काश्त कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनाया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा हेतु सहमति जाहिर की गई। सहमति की दशा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर पत्रावली पर करवाऐ गऐ। वादी की पहचान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान अभिभाषक बुद्धिप्रकाश मालव द्वारा की गई। उक्तानुसार राजीनामा प्रमाणित किया गया। राजीनामा अनुसार खसरा नंबर 515 उत्तर की ओर वादी बृजमोहन का कब्जा काश्त तथा दक्षिणी ओर खसरा नंबर 515/813 व खसरा नंबर 514/816 का राजस्व नक्शा प्रतिवादीगण निरंजन कुमार व सुरेश कुमार के दर्ज है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि मौके अनुसार वादी बृजमोहन वाके ग्राम मूंडली आराजी खसरा नं. 515 रकबा 1.98 हैक्टयर पर उत्तरी दिशा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ग्राम मूंडली आराजी खसरा नं. 515/813 रकबा 1.42 हैक्टयर दक्षिण दिशा व खसरा नं. 514/816 रकबा 0.55 हैक्टयर दक्षिणी दिशा में दर्ज कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्‌नुसार डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर निर्णय से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल
न्यायालय बइजलास सौरभ भाम्बू R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)
प्रकरण संख्या :— 32/2023/दावा/बउनवान/बृजमोहन बनाम निरंजन कुमार वगै0
जीसीएमएस संख्या 2023/45
निर्णय दिनांक :— **30.04.2026**

बउनवान

1. बृजमोहन पुत्र ग्यारसीनाथ उम्र 55 वर्ष जाति नाथ निवासी मूंडली मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

............वादी

बनाम

1. निरंजन कुमार } पिसरान रामकरण जाति ब्राह्मण निवासीगण छीपाबडौद
2. सुरेश कुमार } तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां राज.

............प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते दुरूस्ती नक्शा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट</u>

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा
वकील प्रतिवादीण : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

वकील वादी एंव प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.04.2026 को सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि मौके अनुसार वादी बृजमोहन वाके ग्राम मूंडली आराजी खसरा नं. 515 रकबा 1.98 हैक्टयर पर उत्तरी दिशा व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ग्राम मूंडली आराजी खसरा नं. 515/813 रकबा 1. 42 हैक्टयर दक्षिण दिशा व खसरा नं. 514/816 रकबा 0.55 हैक्टयर दक्षिणी दिशा में दर्ज कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तदानुसार डिक्री जारी की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(सौरभ भाम्बू) उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बबत इजराय हुकमनामा	....			बबत इजराय हुकमनामा	....		
मुतफर्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
मीजान	....			मीजान	....		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल